अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**11.02.2026** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०** श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती अश्वमेध देवी, स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०	"मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-25.11.2022 को चतुर्थ कृषि रोडमैप के सूत्रण पर हुई बैठक के आलोक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल-जमाव के स्थायी समाधान हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी । इस समिति में जल संसाधन, राजस्व, कृषि, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और गन्ना उद्योग विभाग शामिल थे, जिनका उद्देश्य जल-जमाव प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु DPR तैयार करना था । इसी क्रम में ईख आयुक्त, बिहार के ज्ञापांक-02/रेगु०/02-7010/2018-251, दिनांक-14.01.2023 एवं संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1 PMC/बैठक/06/2022-42, दिनांक-13.01.2023 द्वारा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिला के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे, परंतु अब तक कोई सकारात्मक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ है । अत: गन्ना उत्पादक जिलों को जल-जमाव से मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ ।"	जल संसाधन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०** श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स० श्री बाबुलाल शौर्य, स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री सुभाष सिंह, स०वि०स०	"बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरूआत 2016 में की गई थी । सभी 67,534 योजनाएं PHED को हस्तांरित कर दी गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22.50 करोड़ रूपये योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किये गए हैं । सम्पूर्ण राज्य में वार्ड सदस्य द्वारा कराये गये हर-घर-नल-जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है । अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नल टूटे हुए हैं, विद्युत विपत्र के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं, बोरिंग और पानी टंकी के भूमि विवाद और नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है । अत: इस योजना के रख-रखाव और संचालन हेतु समयबद्ध स्पष्ट नीति निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।"	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/2026- 63 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 10.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/2026- 63 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 10.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/2026- 63 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 10.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/2026- 63 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 10.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
10/02/2026